वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम– 703

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2290 दि. 31-12-15

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" पूर्व में आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 12.10.2015 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–697) के द्वारा 15 अक्टूबर 2015 से 14 नवम्बर 2015 तक लागू की गई थी । इसी क्रम में **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

1. ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावें।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/–प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगें।
4. यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढ़े हुये भार पर प्रति एच.पी. रू. (2500 +2500) कुल रुपये 5000/– मात्र पेनल्टी जमा करानी होगी ।
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

उक्त **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** की समाप्ति (31 जनवरी 2016) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा ।

आज्ञा से

(अशोक माथुर)
अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर